<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक : 123/13

संस्थापन दिनांक : 13.03.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1—मुकेश पुत्र लक्ष्मणसिंह बंजारा, उम्र 35 वर्ष निवासी हनुमान कॉलोनी ग्वालियर रोड डबरा

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर धारा 337, 338 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 279 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 03.03.13 को 16:30 बजे बेहट रोड बेयर हाउस के आगे आम रोड पर वाहन मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0-07-एम.एम.4622 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 03.03.13 को फरियारी राजवीर अ0सा01 अपनी मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—07—एम.बी.408 से अपने पिता रामरतन को बिटाकर घर से कृपालपुर जा रहा था मोटरसाइकिल को वह चला रहा था। जैसे ही वह बेहट रोड बेयर हाउस के आगे रोड पर पहुंचा तो बेहट तरफ से एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसके दांये हाथ के पंजा व दांये पैर की जांघ में मूंदी चोट आई तथा मोटरसाइकिल पर बैठे उसके पिता रामरतन के दांये पैर के घुटने के पास चोट होर खून निकल रहा था तथा बांये पैर की पिंडरी में चोट आई तथा मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—07—एम.एम.4622 का चालक अपनी मोटरसाइकिल को लेकर भाग गया। तत्पश्चात फरियादी राजवीर अ0सा01 ने थाना मौ में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—1 दर्ज कराई जिस पर अप0क्क0 27/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया

गया।

- 3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी ने दिनांक 03.03.13 को 16:30 बजे बेहट रोड बेयर हाउस के आगे आम रोड पर वाहन मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—07—एम.एम.4622 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

🖊 विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष / /

- 5. फरियांदी राजवीर अ०सा०१ ने कथन किया है कि वह आरोपी मुकेशसिंह को नहीं जानता है। दो वर्ष पूर्व सावन माह में वह मोटरसाइकिल से अपने स्वर्गवासी पिता रामरतन को बिटाकर कृपालका पुरा जा रहा था तब बेहट रोड बेयर हाउस के आगे एक मोटरसाइकिल बगल में चलने लगी जिससे उसका बैलेन्स बिगड़ गया तथा उसे व रामरतन को गिरने से चोटें आईं थीं। वह रामरतन को इलाज के लिए ले गया तब डॉक्टरों के कहने पर उसने रिपोर्ट प्र०पी–1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मौके पर आकर नक्शामौका प्र०पी–2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि मोटरसाइकिल कमांक एम०पी0–07–एम.एम.४६२२ को आरोपी मुकेश ने तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी–3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
- 6. आहत रामरतन की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप अभियोजन द्वार उसे परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः घटना का एक मात्र प्रत्यक्ष साक्षी स्वयं राजवीर अ0सा01 ही है जिसके द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि दिनांक 03.03.13 को 16:30 बजे बेहट रोड बेयर हाउस के आगे आम रोड पर वाहन मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—07—एम.एम.4622 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।
- 7. परिणामतः आरोपी को धारा 279 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 9. प्रकरण में जप्त मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0—07—एम.एम.४६२२ आवेदक धर्मेन्द्र की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0